

26/3/19

उपखण्ड अतिकारी
उदयपुरवादी (उपखंड)

पतापत्री - पेय डी। - कबीला पानी उपखंड - 2019
प्रोपर्टी कलक्टर निबंधाद) से संबंधित मूल
दस्तावे का निस्तारण हो चुका है। इससे
प्रोपर्टी कलक्टर निबंधाद) का कोई अधिकार
गर्ह नहीं रह जाता है। कानून के प्रोपर्टी कलक्टर
निबंधाद) को मूल दस्तावे का निस्तारण होने
से खारिज किया जाता है। प्रोपर्टी कलक्टर
सुमार होकर नगदर से कर हो व
दस्तावे उपखंड है। earmarked

उपखण्ड अतिकारी
उदयपुरवादी (उपखंड)